

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का निर्माण। ल० - 7.750 Km.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - स्यालुका
तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाशी
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचयात भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है० वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचयात स्यालुका ग्राम स्यालुका द्वारा दिनांक 12/8/08 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचयात की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०/-

प्रयोक्ता एजेन्सी
स्यालुका
पुरोला जिला उत्तरकाशी

जयवीरलाल

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित स्यालुका
पुरोला जिला उत्तरकाशी

प्रपत्र-23.1

दिनांक - 11-05-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - सुआलुका

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुताप सिंह s/o कुंवर सिंह	हस्ताक्षर
2	दाम सिंह s/o बचन सिंह	हस्ताक्षर
3	गोत सिंह s/o दुसम सिंह	हस्ताक्षर
4	नरेश चंद s/o आनंद सिंह	हस्ताक्षर
5	देवेन्द्र सिंह s/o भुस्की सिंह	हस्ताक्षर
6	भुस्की सिंह s/o सुरत सिंह	हस्ताक्षर
7	भुपेन्द्र सिंह s/o बचन सिंह	हस्ताक्षर
8	पुताप सिंह s/o अजय सिंह	हस्ताक्षर
9	नवीन सिंह s/o जगमोहन सिंह	हस्ताक्षर
10	उपेन्द्र सिंह s/o जगमोहन सिंह	हस्ताक्षर
11	अशोक कुमार s/o कमलदास	हस्ताक्षर
12	विजय सिंह s/o स्व. केवल सिंह	हस्ताक्षर
13	विजय सिंह s/o स्व. विजय सिंह	हस्ताक्षर
14	देवेन्द्र सिंह s/o स्व. नागू	हस्ताक्षर
15	अशोक शर्मा s/o श्री कुंवर सिंह	हस्ताक्षर
16	पप्पू शर्मा s/o स्व. अजयपाल सिंह	हस्ताक्षर
17	अजयपाल सिंह s/o नवीन सिंह	हस्ताक्षर
18	भुस्की चंद s/o गजपाल	हस्ताक्षर
19	कमलदास s/o पुन दास	हस्ताक्षर
20	रमेश सिंह s/o गजपाल सिंह	हस्ताक्षर

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का निर्माण। लम्बा - 7.750km.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - स्यालुका
तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाशी
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है० वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यालुका

ग्राम जेम्स रिमड़ी द्वारा दिनांक 17/8/2018

को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित
पुरोला (उत्तरकाशी)

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
पुरोला (उत्तरकाशी)

दिनांक - 11.05.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - सोमरियाणी रायगढ़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हिजायत सिंह धार 5/0 प्रेमचन्द सिंह	सुभा
2	रमेश रावत 5/0 रमेश सिंह	रमेश
3	रमेश सिंह रावत 5/0 रमेश सिंह	रमेश
4	रमेश सिंह 5/0 विष्णु रावत	रमेश सिंह
5	रमेश सिंह 5/0 विष्णु रावत	Ramesh
6	रमेश रावत 5/0 कुन्दनीश	रमेश
7	रमेश रावत 5/0 गणपाल	रमेश
8	रमेश रावत 5/0 रमेश सिंह	रमेश
9	रमेश रावत सिंह 5/0 रमेश सिंह	रमेश
10	रमेश रावत 5/0 विष्णु रावत	रमेश
11	रमेश सिंह 5/0 विष्णु रावत	रमेश
12	रमेश रावत 5/0 कुन्दनीश	रमेश
13	रमेश रावत 5/0 गणपाल रावत	Ram
14	रमेश रावत 5/0 रमेश सिंह	रमेश
15	रमेश रावत 5/0 रमेश सिंह	रमेश
16	रमेश रावत 5/0 रमेश सिंह	रमेश
17	रमेश सिंह 5/0 रमेश सिंह	रमेश
18		
19		
20		

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.500 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, -पुरोला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, पुरोला

उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है0, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात् कुल 4.5360 है0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-पुरोला) की दिनांक 09/11/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

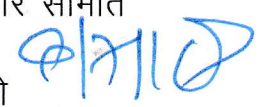
अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पूरण सिंह राणा, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1 श्री पूरण सिंह राणा उपजिलाधिकारी..... अध्यक्ष
- 2 श्री आर.रतन. शीवाजी उप प्रभागीय वनाधिकारी..... सदस्य
- 3 श्री प्रकाश नन्दा सहायक समाज कल्याण अधिकारी..... सहायक सलाहदायक अधिकारी
- 4 श्री मती किन्दी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र निन्दी देवी पुरोला (उत्तरकाशी) सदस्य

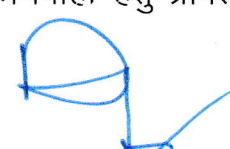
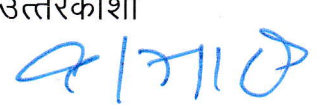
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना हेतु 4.5360 है0 वन भूमि (4.0320 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.5040 है0 सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि से संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी टोंस वन प्रभाग पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी 0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 4.5360 है० वन भूमि (4.0320 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.5040 है० सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पुरोला,
जनपद-उत्तरकाशी 

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पुरोला,
जनपद-उत्तरकाशी 

FORM-I
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No. 179/2018

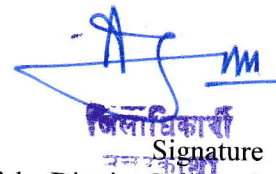
Dated 5-11-2018

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 4.5360 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D Uttarakhand for New Road Construction in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Syaluka village in Purola Tehsils.

It is further certificated that:

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4.5360 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure
- (b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT - (UTTARAKHAND)
UTTARKASHI

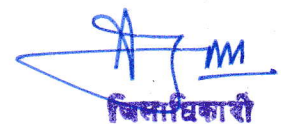
Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes &
Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Uttarkashi District – Uttarkashi constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashish Chauhan I.A.S. District Magistrate on Dated 5-11-2018 at 11 AM at Uttarkashi in which the application claiming rights in Mail area measuring **4.5360 Hect** for the Construction of **Gundiya Gaon Rama M/R Km. 1.00 to Syaluka** Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Purola** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi

Dated: 5-11-2018



District Magistrate
District level Committee

पत्रांक:-

दिनांक:-

दिनांक 5-11-2018 को जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग के किमी 0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 4.5360 हैक्टेयर भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-पुरोला द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी-पुरोला की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 4.5360 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के पुरोला रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी- पुरोला की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(Handwritten Signature)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तरकाशी

(आर.व.प.मि.श.)
प्रभागीय वनाधिकारी
टोंस वन प्रभाग

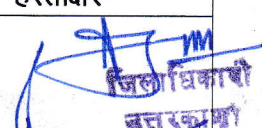
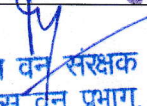
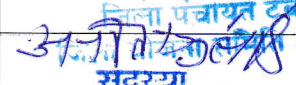
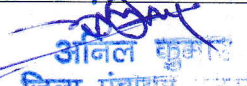
()
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

पृ०स० / डी०एल०आर०सी० / दिनांक
प्रतिलिपि:-

1 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला

()
जिलाधिकारी
प्रसारिका

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरोला खण्ड के रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.5.360 हे० वन भूमि हस्तानरण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 5-11-2018 को जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हुए।

क्र० सं०	अधिकारी/सदस्यों का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशीष चौहान	जिला अधिकारी उत्तरकाशी	 जिला अधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री आर०पी० मिश्रा	प्रभागिक वन अधिकारी वन प्रभाग टौन्स पुरोला	 उप वन संरक्षक टौन्स वन प्रभाग, पुरोला
3	श्री हेमलता पाण्डेय	जिला समाज कल्याण अधिकारी	 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	 जितेन्द्र सिंह राणा सदस्य जिला पंचायत टकनौर/
5	श्री अनिता गुंसाई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	 अनिता गुंसाई सदस्य जिला पंचायत-04 लवाड़ी वि० 230-भटवाड़ी, उत्तरकाशी
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	 अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव-16 डख्याटगांव जिला- उत्तरकाशी

It is certified that-Minutes of meeting of Construction of Gundiyaad Gaon Rama M/R Km. 1.00 to Syaluka Motor Road Km. 7.750 Motor Road regarding FRA is as following

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 4.536 hect. Of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right Committee (s), sub division Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid Motor Road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi

परियोजना का नाम: जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.750 किमी०)

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-गुन्दियाट गांव
तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है०, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम्य पंचायत गुन्दियाट गांव द्वारा दिनांक 13-03-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुन्दियाट गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत, गुन्दियाट गांव
ग्राम प्रधान

दिनांक 13-03-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम चुड़िमाट गाँव

क्र०स०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री राम कला	श्री मन्ना
2.	श्री सोहन लाल	श्री हनुमान
3.	श्री चन्दा देवी	श्री देवी
4.	श्री जितेन्द्र रावत	जितेन्द्र
5.	श्री पुरन चन्द	श्री पुरन
6.	श्री राजेश्वर रावत	राजेश्वर
7.	श्री कुन्दन लाल	श्री कुन्दन
8.	श्री चण्डी प्रसाद - गिरियाल	चण्डी प्रसाद
9.	श्री राधेय्याम - गिरियाल	राधेय्याम
10.	श्री प्रेमलाल	प्रेमलाल
11.	श्री गोविन्द राम - गिरियाल	गोविन्द
12.	श्री शान्ति प्रसाद - गिरियाल	शान्ति प्रसाद
13.	श्री सुखार सिंह	सुखार
14.	श्री श्याम सिंह - गिरियाल	श्याम
15.	श्री सतीश देवी	सतीश देवी
16.	श्री सतीश देवी	सतीश देवी
17.	श्री सुन्दर सिंह - गिरियाल	सुन्दर
18.	श्री राम - गिरियाल	राम
19.	श्री प्रताप सिंह	प्रताप
20.	श्री प्रताप सिंह	प्रताप
21.	श्री गोविन्द श्याम - गिरियाल	गोविन्द
22.	श्री सतीश देवी	सतीश देवी
23.	श्री सतीश देवी	सतीश देवी

श्री सतीश देवी

परियोजना का नाम: जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.750 किमी०)

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-रोन
तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है०, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम्य पंचायत रोन द्वारा दिनांक 13.03.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रोन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

सुमित्रा

ग्राम पंचायत रोन
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 13-03-11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम रोहता

क्र०स०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश उरायकर	जगदीश
2	जदलाल	जदलाल
3	जगदीश शर्मा	जगदीश
4	रजयल शर्मा	रजयल शर्मा
5	श्रीराधेश्वर रतूड़ी	रतूड़ी
6	श्री सत्यनारायण सिंह	सत्यनारायण
7	श्रीमती भक्तवर्धन	भक्तवर्धन
8	श्रीमती नविता देवी	नविता देवी
9	श्री रामजीर सिंह	रामजीर
10	श्री राजपाल सिंह	राजपाल
11	श्री प्रताप सिंह	प्रताप
12	श्रीमती पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
13	श्री सत्यनारायण सिंह खन्त	सत्यनारायण
14	श्री राजेंद्र खन्त	राजेंद्र
15	श्री कुमारी खन्त	कुमारी
16	श्रीमती राजेंद्र देवी	राजेंद्र देवी
17	॥ सत्यनारायण देवी	सत्यनारायण
18	॥ नविता देवी	नविता
19	श्री प्रताप रतूड़ी	प्रताप
20	श्री रघुवीर सिंह	रघुवीर

सुभाष